प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-25.11.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बसरेहर, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 26.01.20219 को वादिनी श्रीमती गंगा देवी पत्नी ओमप्रकाश शाक्य निवासी कस्बा बसरेहर थाना बसरेहर द्वारा थाना बसरेहर पर सूचना दी कि उसके नाती अनुकल्प उर्फ कृष्णा को बंटा पुत्र नेत्रपाल और उसके साथियों द्वारा सर में गोली मार दी। सूचना पर थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 20/2019 धारा 307 भादवि पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना बसरेहर पुलिस टीम पैरोकार का0 सन्दीप एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एडीजीसी श्री कौशलेन्द्र कुमार द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 25.11.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे-12/ डकैती कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 25,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **नवीन उर्फ प्रशांत उर्फ बंटा पुत्र नेत्रपाल यादव निवासी बसगंवा शेरपुर थाना बसरेहर इटावा।**